GOVT TIGHTENS NORMS FOR MSOs

The I&B Ministry has started getting tough on MSOs and has warned that the MSOs need to follow the TRAI regulation of every distributor of TV channels to get its SMS, CAS and other related systems audited once in a calendar year

The Govt has instructed around 600 MSOs to ensure they comply with the broadcasting rules. The Govt has notified that 592 MSOs failed to follow the TRAI regulation

Ministry in exercise of powers conferred under Rule 10A (1) of the Cable Television Networks Rules, 1994 had directed all MSOs to furnish information like number of subscribers, etc. However, when the MSO failed to provide the details sought by MIB, their status was marked as 'Non-Compliant' as per the Ministry.

सूचना एवं
प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF
INFORMATION AND
BROADCASTING
सत्यमेव जयते

MIB said it had advised broadcasters to enter into fresh interconnection agreements only with "Compliant" MSOs and notify the MSOs under them who have been marked as "Non-Compliant" by MIB, adding that pursuant to this, broadcasters have issued communications to all 'Non-Compliant' MSOs, having an interconnection agreement with them.

The ministry observed that despite being in operations and having executed interconnection agreements with broadcasters, the majority of MSOs continue to remain 'Non-Compliant' and in violation of the terms and conditions of their registrations and Interconnection Regulations, 2017 issued by TRAI.

Govt has further warned that MSOs are hereby advised to furnish the requisite documents and get their status changed to 'Compliant' latest by 15th August, 2023; failing which, necessary action as deemed appropriate shall be initiated against them, including cancellation of registration as MSO. ■

सरकार ने एमएसओ के लिए नियम सख्त किये

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने एमएसओ पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि एमएसओ को अपने एसएमएस, सीएएस और अन्य संबंधित प्रणालियों का कैलेंडर वर्ष में एक बार ऑडिट कराने के लिए टीवी चैनलों के प्रत्येक वितरक के ट्राई के विनियमन का पालन करना होगा।

सरकार ने लगभग **600** एमएसओ को प्रसारण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने अधिसूचित किया है कि **592** एमएसओ ट्राई विनियमन का पालन करने में विफल रहे।

मंत्रालय ने केबल नेटवर्क नियम, **1994** के नियम **10**ए **(1)** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एमएसओ को ग्राहकों की संख्या आदि जैसी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, जब एमएसओ एमआईबी द्वारा मांगे गये विवरण को प्रदान करने में विफल रहे तो, मंत्रालय के अनुसार उनकी स्थिति को 'गैर–अनुपालक' के रूप में चिन्हित किया गया था।

एमआईबी ने कहा कि उसने प्रसारकों को सलाह दी है कि वे केवल 'अनुपालक' एमएसओ के साथ नये इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश करें और अपने अधीन उन एमएसओ को सूचित करें जिन्हें एमआईबी द्वारा 'गैर–अनुपालक' के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका अनुसरण करते हुए प्रसारकों ने उन सभी 'गैर–अनुपालक' एमएसओ से संपर्क किया है जिनके साथ इंटरकनेक्शन समझौता किया गया है।

मंत्रालय ने पाया कि संचालन में होने और प्रसारकों के साथ इंटरकनेक्शन समझौते निष्पादित करने के बावजूद अधिकांश एमएसओ 'गैर–अनुपालक' बने हुए हैं और ट्राई द्वारा जारी उनके पंजीकरण और इंटरकनेक्शन विनियम **2017** के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं।

सरकार ने आगे चेतावनी दी है कि एमएसओ को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और **15** अगस्त **2023** तक अपनी स्थिति को 'अनुपालक' में बदल लें, ऐसा न करने पर, उनके खिलाफ उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई शुरू की जायेगी, जिसमें एमएसओ के रूप में पंजीकरण रद्द करना भी शामिल है। ■